30|5|25 मिसिल प्रस्तुत हुई/आज पीठासीन अधिकारी
मुख्यालय अवकाश में है/राजकीय भ्रमण पर है।
अतः पत्रावली दि. 27|6|25 को पेश हो
8

27|6|25 पत्रावली पेश हुई। अधि. प्रार्थी उप.। मामले में अधि. प्रार्थी की अविद बहस सुनी गई। अधि. प्रार्थी की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया की प्रार्थी द्वारा जिस वाद ग्रस्त भूमि की पत्थर गढी कराना चाहता है वह वाद ग्रस्त आराजी प्रार्थी के सहखातेदारी की भूमि होकर सभी सहखातेदार प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है किन्तु प्रार्थी द्वारा अन्य सहखातेदारो को किसी भी रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रा.पत्र कुसंयोजन व असंयोजन से प्रभावित होकर विधि के विरुद्ध है। जो न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRAct. का असंयोजन व कुसंयोजन से प्रभावित होने से अस्वीकार किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। 8

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राज.)